न्यायालय अपर कलक्टर, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी—श्री ओ0पी0 बिश्नोई आर0ए0एस0

पंचायत निगरानी संख्या 09 / 2011

प्रार्थी		विप्रार्थीगण
1. श्रीमती पवनी धर्मपत्नी शंकरलाल 2. शंकरलाल उर्फ कमलाराम पुत्र मलाराम जाति दिशांतरी निवासी भाडखा हाल बाड़मेर	बनाम	1. जयराम पुत्र मोहन जाति दिशांतरी निवासी हाल भाडखा 2. ग्राम पंचायत भाडखा जरिये सरपचं

निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1996 बाबत् निरस्त करने पट्टा संख्या 80 दिनांक 05.01.2004 जो ग्राम पंचायत भाडखां द्वारा विप्रार्थी संख्या 01 के पक्ष में जारी किया गया।

उपस्थितः— 1. श्री मदनलाल सिंहल अधिवक्ता प्रार्थीगण की ओर से।
2. श्री विष्णू चौधरी अधिवक्ता विप्रार्थी संख्या 01 की आरे से।
3. विप्राथी संख्या 02 अनुपस्थित।

निर्णय

दिनांक 20-3-2018

न्यायालय अपर कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

1. प्रार्थी ने यह निगरानी ग्राम पंचायत भाडखां द्वारा विप्रार्थी संख्या 01 के नाम जारी पट्टा संख्या 80 दिनांक 05.01.2004 को निरस्त करने हेतु धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1996 के तहत हमारे समक्ष पेश की है।
2. संक्षेप में प्रार्थी की निगरानी के तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थी शंकरलाल के पिता श्री मलाराम के स्वामित्व का एक मकान व भूखण्ड ग्राम भाडखां में 50 फीट चौड़ा व 100 फीट लम्बाई का आया हुआ है। विप्रार्थी संख्या 01 जयराम ने प्रार्थी के उक्त भूखण्ड को हड़पने की नियत से विप्रार्थी संख्या 02 ग्राम पंचायत भाडखां के साथ मिलकर कुटरचित तरीके से पट्टा संख्या 80 दिनांक 05.01.2004 जारी करवाया। ग्राम

अपर कलक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)

पंचायत भाडखां द्वारा आलौच्य पट्टा जारी करते समय राजस्थान पंचायती राज नियमो की पूर्णतया अनदेखी की जाकर विप्रार्थी संख्या 01 को अनुचित लाभ पहुंचाने जाने की नियत से नियम विरूद्व पट्टा संख्या 80 दिनांक 05.01.2004 जारी किया गया है, जो निरस्त किये जाने योग्य है।

3. हमने निगरानी दर्ज रजिस्टर कर, विप्रार्थीगण को कारण बताओं नोटिस जारी किये एवं ग्राम पंचायत भाडखां से निगरानी से संबधित रेकर्ड तलब किया।

4. प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा लिखित बहस पेश कर जाहिर किया कि ग्राम पंचायत भाडखां द्वारा राजस्थान पंचायती राज अधिनियम की अनदेखी करते हुए राज.पंचायती राज नियम 1996 के नियम 145 से 167 तक प्रक्रिया की पालना किये बिना पट्टा जारी किया गया है, जबकि इस भूखण्ड पर प्रार्थी का कब्जा एवं रहवास है। ग्राम पंचायत भाडखा द्वारा उक्त पट्टा संख्या 80 जारी करने के संबंध में कोई मिसल कायम नहीं की गई। पट्टा नियम 167(1) में जारी किया गया है, परन्तु इस नियम में पट्टा जारी करने से पूर्व नियम 159 व नियम 154 के अन्तर्गत भूमि की नीलामी करने की कार्यवाही किये जाने का प्रावधन है, लेकिंन ऐसी कोई कार्यवाही ग्राम पंचायत द्वारा नहीं की गई। पट्टा में पंचायत के संकल्प संख्या 5 दिनांक 05.01.2004 का उल्लेख है परन्तु संकल्प संख्या 5 के संबंध में कोई दस्तावेजात ग्राम पंचायत के पास उपलब्ध नहीं है। जारी किये गये पट्टे पर सरपंच ग्राम पंचायत के ही हस्ताक्षर है। विप्रार्थी संख्या 01 द्वारा विवादग्रस्त भू खण्ड पर अपना कब्जा होने के सम्बन्ध में कोई सबूत पेश नहीं किया गया है। ग्राम पंचायत भाडखां द्वारा विप्रार्थी संख्या 01 जयराम को राजस्थान पंचायत राज अधिनियम के नियमो की पूर्णतया अनदेखी करते हुए पट्टा संख्या 80 दिनांक 05.01.2004 जारी किया गया, जो खारिज किये जाने योग्य है। लिखित बहस के साथ कानूनी दृष्टांत 2016 (4)डीएनजे (राज.) 1799 व 2016 (4) डीएनजे (राज.) 1803 पेश किये।

न्यायालय अपर कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

5. विप्रार्थी संख्या 01 के अधिवक्ता द्वारा लिखित बहस में दर्शाया कि प्रार्थी द्वारा जयराम के पिता की वल्दियत का फर्जी दस्तावेजात तैयार किया जाकर ग्राम पंचायत से पट्टा जारी करवाना बताया, परन्तु इस तथ्य को साबित करने का कोई तथ्य/सबूत न्यायालय में पेश नहीं किया गया। विप्रार्थी संख्या 01 के राशनकार्ड, जॉबकार्ड, ड्राईविंग लाईसेन्स व निर्वाचन आयोग द्वारा जारी प्रमाण–पत्र, स्कूल के प्रमाण–पत्र एवं

अपर कलक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)

अन्य दस्तावेजो में उसके पिता का नाम मलाराम दर्ज है। ग्राम पंचायत भाडखां द्वारा पट्टा जारी करने से पूर्व राजस्थान पंचायत राज नियम 1996 के नियम 145 से 168 तक की पालना करते हुए नियमानुसार ग्राम पंचायत की बैठक में प्रस्ताव संकल्प संख्या 4 पारित कर मौके पर कब्जे के आधार पर पट्टा जारी किया गया है, जो विधि सम्मत होने से किसी नियमो का उल्लंघन नहीं हुआ है। प्रार्थी की निगरानी खारिज किये जाने योग्य है। लिखित बहस के साथ कानूनी दृष्टांत 2015 (2)आरआरटी967 व 2015 (2) आरआरटी 968 पेश किये।

6. हमने प्रार्थीगण एवं विप्रार्थी संख्या 01 के विद्वान अधिवक्ताओ द्वारा पेश लिखित बहस, ग्राम पंचायत भाडखां से प्राप्त रिकार्ड एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। प्रार्थी ने यह निगरानी ग्राम पंचायत भाडखां द्वारा विप्रार्थी संख्या 01 जयराम के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 80 दिनांक 05.01.2004 को निरस्त करने हेतु धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1996 के तहत हमारे समक्ष पेश की है। प्रार्थी का यह कथन हैं कि ग्राम पंचायत द्वारा विप्रार्थी संख्या 01 के पक्ष में पट्टा जारी करने से पूर्व राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 145 से 157 की पालना नहीं की गई है तथा जिस भूमि पर पट्टा जारी किया गया है, वह भूखण्ड प्रार्थी के पिता के स्वामित्व का है, जिनकी फर्जी वल्दियत प्राप्त कर पट्टा जारी करवाया गया हैं। मगर प्रार्थी द्वारा भूखण्ड अपने पिता के स्वामित्व का होने का कोई साक्ष्य/तथ्य पेश नहीं किया गया। मूल पट्टा का अवलोकन करने पर पाया गया कि यह पट्टा ग्राम पंचायत भाडखां द्वारा राजस्थान पंचायत राज अधिनियम 1996 के नियम 150 से 152 के तहत 889 वर्ग फिट का राशि रूपये 300/— जमा किया जाकर जारी किया गया है। राजस्थान पंचायत राज अधिनियम का अवलोकन किया गया। जिसके अनुसार नियम 150 में भूमि की नीलामी हेतु समय, स्थान एवं तारीख का निर्धारण करने, नियम 151 में स्थावर सम्पति की नीलामी के लिए नीलामी समिति का गठन करने एवं नियम 152 में भूमि की विद्यमान बाजार दर तय करने का प्रावधान है। उक्त प्रकरण में ग्राम पंचायत भाडखां के पास जारी किये गये पट्टे से सम्बन्धित मिसल उपलब्ध नहीं हैं। पट्टा संकल्प संख्या 05 दिनांक 05.01.2004 के अनुसरण में जारी किया गया परन्तु ग्राम सेवक एवं पदेन सचिव ग्राम पंचायत भाडखा की रिपोर्ट अनुसार संकल्प संख्या 05 दिनांक 05.01.2004 का उल्लेख बैठक कार्यवाही रजिस्टर में नहीं है। ग्राम पंचायत

न्यायालय अपर कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

अपर कलक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)

भाडखा के पास पट्टा संख्या 80 दिनांक 05.01.2004 से सम्बन्धित रिकार्ड उपलब्ध नहीं होने के कारण जारी किया गया पट्टा राजस्थान पंचायत राज अधिनियम 1996 के तहत निर्धारित प्रक्रिया अपनाई जाकर जारी किया गया है, अथवा नहीं? इसका परीक्षण नहीं किया जा सकता। प्रार्थी द्वारा निगरानी में जो तथ्य प्रकट किये गये है, उससे यह पाया जाता हैं कि जिस भूखण्ड का पट्टा जारी किया गया है, उस भूखण्ड का स्वामित्व को लेकर दोनो पक्षो में विवाद चल रहा हैं तथा दोनो पक्ष भूखण्ड पर अपने अपने दावे कर रहे हैं।

7. उपरोक्त विवेचन के फलस्वरूप ग्राम पंचायत भाडखां द्वारा विप्रार्थी संख्या 01 जयराम को जारी किया गया पट्टा संख्या 80 दिनांक 05.01.2004 खारिज किया जाकर प्रकरण ग्राम पंचायत भाडखां को प्रतिप्रेषित कर निर्देश दिये जाते हैं कि दोनो पक्षो को सुना जाकर मौके एवं रिकार्ड आदि की पूर्ण जांच कर, नियमानुसार पुनः पट्टा जारी किया जावें।

(ओ0पी0बिश्नोई)
अपर कलक्टर, बाड़मेर
अपर कलक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)

निर्णय आज दिनांक 20-3-18 को खुले न्यायालय में सुनाया गया

अपर कलक्टर, बाड़मेर
(ए.डी.एम.)